न्यायालय श्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

पीठासीन अधिकारीः– रतनलाल रेगर आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्याः–108 / 2020

वादीगणः–

1. आसुलाल पुत्र श्री सोमराज
2. मोनिका पत्नी श्री अरविन्द
3. सुरेशचन्द पुत्र श्री सोमराज
   जातियान महाजन, निवासी नेवरा
   तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

प्रतिवादीगणः–

1. नारायणलाल पुत्र श्री सोमराज, जाति महाजन, निवासी नेवरा, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।
2. तहसीलदार ओसियां।

वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश खीचड़।
प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मदेरणा।
प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित।

–::निर्णय::–

दिनांकः–12/3/2022

वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है किः– वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 1641 रकबा 9.7286 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय ग्राम नेवरा, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई है। वादग्रस्त भूमि में वादी संख्या 1 व 2 का संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा, वादी संख्या 3 का 1/3 व प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 हिस्सा है। वादग्रस्त भूमि सड़क के पास स्थित है तथा राजस्व रेकर्ड में संयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज है जिसका मौके व राजस्व रेकर्ड में माप एवं सीमांकन अनुसार प्रत्येक हिस्सेदार का सड़क पर

समान रूप से हक हिस्सा रखते हुए विभाजन किया हुआ नहीं है वादीगण व प्रतिवादी का सामलाती कब्जा काश्त है। वादग्रस्त भूमि दो किस्मों के रूप में विभक्त है कुछ सड़क के पास वाली कीमती भूमि व कुछ सड़क से दूर कम कीमती भूमि है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि में से अच्छे से अच्छी बुरे में से बुरी अपने हिस्से के अनुपात में वादीगण को भूमि प्राप्त करने का अधिकार है। वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज है। किसी भी खातेदार को निश्चित भू–भाग पर निर्माण इत्यादि करने व अलग से कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि का माप एवं सीमांकन अनुसार विभाजन किया हुआ नहीं होने तथा वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिवादी संख्या 1 सड़क के पास वाली कीमती भूमि पर कब्जा करना चाहता है तथा वादग्रस्त भूमि का माप एवं सीमांकन अनुसार विभाजन करवाना नहीं चाहता है जबकि इनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि है जिसमें किसी निश्चित भू–भाग पर कब्जा करने व मौके की स्थिति में परिवर्तन करने का किसी भी खातेदार को कोई अधिकार नहीं है। वादग्रस्त भूमि का माप एवं सीमांकन अनुसार विभाजन करवाने हेतु वादीगण ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार कहा लेकिन प्रतिवादी हर बार तरह–तरह के बहाने वादीगण को बताते रहा जिसे वादीगण हककीत समझते रहे लेकिन प्रतिवादी शुरू से ही वादग्रस्त भूमि का विभाजन नहीं करवाना चाहता था। दिनांक 13.01.2021 को वादीगण ने वादग्रस्त भूमि का माप एवं सीमांकन अनुसार विभाजन करवाने हेतु प्रतिवादी संख्या 1 को कहा तो प्रतिवादी ने विभाजन करवाने से साफ इन्कार कर दिया तथा एलानिया धमकी दी कि वादग्रस्त भूमि संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। इसलिए मैं अपनी मनमर्जी से सड़क के पास वाली कीमती भूमि पर कब्जा करूंगा तथा तुम्हें मौके से बेदखल करूंगा जबकि प्रतिवादी को ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि अपने हिस्से के अनुपात में सड़क के पास भूमि प्राप्त करने का वादीगण को पूर्ण रूप से अधिकार है। साथ ही वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 (एक) ने एलानिया बेदखली की धमकी दी। इसलिए वादीगण ने यह वाद पेश किया है, वादी ने इस्तदुआ चाही कि वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1641 रकबा 9.7286 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय ग्राम नेवरा, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर बाबत् सभी का अपने–अपने हिस्से अनुसार सड़क के पास हिस्सा रखते हुए मिट्स एण्ड बाउण्ड्स से विभाजन किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें। स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय की जारी की जावें कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण के हक अधिकार, व कब्जा काश्त सुदा भूमि में प्रतिवादी किसी प्रकार की दखलंदाजी न तो स्वयं करें न किसी अन्य से करावें। मौके की यथास्थिति बनायें रखे।

यह है कि वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश कुमार मदेरणा ने वकालात नामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

इकबली जवाब दावा प्रस्तुत कर वादीगण के वाद में वर्णित तथ्यों को स्वीकार किया। प्रतिवादी का जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

यह है कि वादीगण के वाद पत्र पर वादीगण व प्रतिवादी अधिवक्ता को सुना गया पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया गया। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 अधिवक्ताओं द्वारा वादग्रस्त भूमि का राजस्व रिकॉर्ड व नजरीय नक्शे अनुसार हेतु प्राथमिक डिक्री जारी किये जाने हेतु सहमति जाहिर की। सहमति के आधार पर बंटवाड़ा प्रस्ताव हेतु दिनांक 16.02.2021 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई, तहसीलदार ओसियां द्वारा हल्का पटवारी नेवरा से विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा तलब किया गया। जो बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा शामिल पत्रावली किया गया, उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर किसी भी पक्षकार द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई।

—::आदेश::—

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1641 रकबा 9.7286 हैक्टेयर किस्म बारानी द्वितीय ग्राम नेवरा, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर, बाबत् प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव व नजरी नक्शे अनुसार वादीगण व प्रतिवादी के हिस्से की भूमि का विभाजन किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी संख्या 1 को इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के उक्त हिस्से व कब्जे में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं करें इसी आशय की डिक्री अलग से जारी की जावें। बंटवाड़ा प्रस्ताव व नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 12/3/22 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner

मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 06 व 07)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां

पीठासीन अधिकारी **रतनलाल रेगर।**

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. आसुलाल पुत्र श्री सोमराज 2. मोनिका पत्नी श्री अरविन्द 3. सुरेशचन्द पुत्र श्री सोमराज जातियान महाजन, निवासी नेवरा तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।		1. नारायणलाल पुत्र श्री सोमराज, जाति महाजन, निवासी नेवरा, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर। 2. तहसीलदार ओसियां।

वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 आर.टी. एक्ट

वाद संख्याः– 108/2020

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री राजेश खीचड़ उपस्थित प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश मदेरणा उपस्थित तथा प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित। निर्णय दिनांक 16.02.2021 की पालना में तहसीलदार ओसियां की ओर से विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया विभाजन प्रस्ताव के अनुसार निम्न प्रकार से उभय पक्षकारों के हिस्से का विभाजन किया जावे।

वादी संख्या 1 व 2 के हिस्से की भूमि–

आसुलाल पुत्र सोमराज 45584/145869 हिस्सा व मोनिका पत्नी अरविन्द 1013/48623 हिस्सा

राजस्व ग्राम नेवरा के खसरा नम्बर 1641 रकबा 3.2429 हैक्टेयर

वादी संख्या 3 सुरेशचन्द्र पि. सोमराज के हिस्से की भूमि–

राजस्व ग्राम नेवरा के खसरा नम्बर 1641 रकबा 3.2428 हैक्टेयर

प्रतिवादी संख्या 1 नारायणलाल पि. सोमराज के हिस्से की भूमि–

राजस्व ग्राम नेवरा के खसरा नम्बर 1641 रकबा 3.2429 हैक्टेयर

विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार नक्शा ट्रेस में विभाजन किया जावें, विभाजन प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा अन्तिम डिक्री का भाग समझा जावें। इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार ओसियां को आदेश जारी हो साथ ही स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादी संख्या 1 को इस कदर पाबन्द किया जाता है कि वादीगण के उक्त हिस्से व कब्जे में किसी प्रकार की कोई दखलंदाजी नहीं करें।

Scanned with CamScanner

यह आज तारीख 12/3/22 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गयी।

सहायक कलेक्टर,
एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां

मोहर

मुद्दई	रूपया	पै.	मुद्दायलाह	रूपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा			स्टाम्प वकालत नामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मतफरकत		
मीजान			मीजान		

सहायक कलेक्टर,
एवं उपखण्ड अधिकारी ओसियां